बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी)

पत्रांक 371 पटना, दिनांक 26-03-2019

BRDS-ग्रा0वि0(विविध)05/19

प्रेषक,

सी0पी0 खण्डूजा,
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक
बिहार।

विषय:- दिव्यांगजन को महात्मा गाँधी नरेगा योजना अन्तर्गत कार्य देने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के तहत् मनरेगा के प्रयोजनार्थ 40% या अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को कमजोर व्यक्तियों की विशेष श्रेणी में रखा गया है। मनरेगा MIS के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि बिहार के 38559 दिव्यांगजन को मनरेगा अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है लेकिन वित्तीय वर्ष 2018-19 में केवल 5833 ही दिव्यांगजन को मनरेगा में कार्य आवंटित हुआ है।

अत: निदेश दिया जाता है कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिविर लगाकर अधिक से अधिक कार्य उनकी क्षमता के अनुसार (अनुलग्नक-1) दिया जाय जिससे उनको कार्य करने में कोई परेशानी न हो। साथ में ऐसे दिव्यांगजन जो मनरेगा में कार्य करने को इच्छुक हैं लेकिन उनका जॉब कार्ड नहीं बना है, उनका भी इस विशेष शिविर में जॉब कार्ड बनाया जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
26.03
(सी0पी0 खण्डूजा)
आयुक्त, मनरेगा।

D:\BRDS\Draft\Letter-29.docx

दिव्यांग जनों के लिए मनरेगा में प्रावधान (etid the word) तथा अधिकार

दिव्यांगजनः दिव्यांग या अलग प्रकार के सक्षम लोगों की परिभाषा दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995(1996 का 1)में दिव्यांग तनावग्रस्त लोगों के रूप में की गई है। मनरेगा के प्रयोजनार्थ 40 प्रतिशत या अधिक कठोरता वाले व्यक्तियों को कमजोर व्यक्तियों की विशेष श्रेणी में रख गया है। दिव्यांग जन जिनकी परिभाषा National Trust for Welfare of Persons with Actism, cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabili- ties Act 1999 (44 of 1999) में की गई है वह भी मनरेगा में सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ दिव्यांग है क्योंकि लोगों की यह श्रेणी अलग प्रकार के सक्षम लोगों Differently Abled Persons की यह श्रेणी अलग प्रकार के सक्षम लोगों की है अतः मनरेगा में उनके समावेश को सहज बनाने हेतु विशेष परिस्थितियां सृजित करनी होंगी।

दिव्यांग और संवेदनशील व्यक्तियों को भी अब दूसरों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें भी मनरेगा में उनकी क्षमता के अनुसार के हिसाब से काम दिया जाएगा, ताकि उन्हें कार्य करने में कोई परेशानी न हो।

कार्यों का चिन्हीकरणः

गांव में दिव्यांग जनों की विभिन्न श्रेणियाँ गठित की जाएंगी जो मनरेगा के अन्तर्गत उनके लिए प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करने हेतु एक स्थानीय समूह के रूप में एक साथ आएं और इस प्रकार का आचरण करें कि उनकी पसन्द का मूर्तरूप लेना संभव हो सके। किसी भी आधार पर दिव्यांग एवं लोगों को मनरेगा अन्तर्गत नियोजित अन्य लोगों की मजदूरी की तुलना में कम मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। गतिशीलताः समन्वयक (कमजोर समूह) दिव्यांग कार्यों में से किसी सुविधादाता/मेट की सेवाएं मनरेगा कार्यों के निमित्त दिव्यांग कार्यों को गतिशील बनाने हेतु ले सकते हैं। यह सुविधादाता अन्य कार्यों के साथ-साथ दिव्यांग कार्यों को कार्य स्थल पर लाने हेतु उत्तरदायी होंगे और मेट के रूपमें कार्य करेंगे। दिव्यांग कार्यों एवं कमजोर लोगों को समूह के रूप में गतिशील बनाने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। दिव्यांग जनों को जब भी आवश्यक होउचित काम/नौकरी के लिए उदीयमान करने हेतु व्यवस्था होनी चाहिए। तथापि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को समूह के गठित न होने की स्थिति में काम से वंचित नहीं किया जाएगा।

कार्यः अनुसूची 1 के प्रस्तर 9(1) के अनुसार एक श्रम प्रधान कार्य के साथ कम से कम एक काम जो विशिष्ट कमजोर समूहों विशेषकर अधिक आयु के और दिव्यांग जनों के लिए सुविधाजनक हो हर समय मांग पर काम उपलब्ध कराने के निमित्त खुला रखा जाएगा।

दिव्यांग एवं कमजोर लोगों के अन्य कामों में लगानाः मनरेगा कार्यों में मेट के रूप में दिव्यांग जनों को नियुक्त करने में वरीयता दी जानी चाहिए ।

इसी प्रकार कार्य स्थल पर पानी पिलाने तथा शिशुबाड़ी की व्यवस्था के मामले में भी। उपकरणों, साज सामान का अनुयोजन/काम स्थल या सुविधाएं समन्वयक (कमजोर समूह) दिव्यांग ता से ग्रस्त मजदूरों से विचार-विमर्श कर वर्तमान साज सामान में आवश्यक बदलावों को सुविधाजनक बनाएगा। समन्वयक (कमजोर समूह) इस पश्चात उचित संस्थाओं को गतिशील और/या चिन्हित करेगा जो परिवर्तित यंत्रों सहायक साधनों को बनाएंगे/तैयार करेंगे या कार्य स्थल पर प्रयोग होने वाले सामान्य यंत्रों और साज सामान को अनुकूल बनाएंगे ।

दिव्यांग तनावग्रस्त कर्मियों को परिवर्तित यंत्र/सहायक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे या फिर उन्हें परिवर्तित सामान्य यंत्र/साजसामान जो कार्य हेतु आवश्यक हो दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के साथ आदर का व्यवहारः दिव्यांग जनों को कार्य स्थल पर उनके नाम से पुकारा जाएगा। इसी प्रकार उनके नाम उपनाम जाब कार्ड में ठीक से पंजीकृत किए जाएंगे। अधिकारी कार्यस्थल पर लांछन रहित वातावरण सृजित करने हेतु उपयुक्त उपाय करेंगे। जिससे दिव्यांग जनों के साथ दुव्र्यवहार न हो उन्हें हेय न समझा जाए, वह पक्षपात का शिकार न हों। (गाली की भाषा का प्रयोग, उन्हें उनकी दिव्यांग ता के नाम से पुकारना, अपमानित भाषा का प्रयोग, उनका अपमान करना या उनकी भावनाओं को आहत करना किसी भी रूप में)और समन्वयक (कमजोर समूह) इसे सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। समय सारिणी एवं अनुश्रवणः दिव्यांग जनों तथा गाइडलाइन में दिये गये अन्य कमजोर व्यक्तियों के चिन्हीकरण हेतु विशेष अभियान चलाने चाहिए और एक विशिष्ट समय अवधि में समस्त गांवों के उन परिवारों को जिन से सम्बन्धित हैं 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। समन्वयक (कमजोर समूह) को ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर के कार्मियों के साथ इस क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए मासिक समीक्षा बैठकें करनी चाहिए। समन्वयक (कमजोर समूह) जिला कार्यक्रम समन्वयक को मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अलग/मिल/असमान क्षमता वाले व्यक्तियों हेतु कार्यों का चिन्हीकरणः असमान/अलग क्षमता वाले कर्मियों हेतु कार्यों के चिन्हीकरण की सूची मनरेगा अन्तर्गत असमान क्षमता वाले व्यक्तियों के सामथ्र्य के अनुरूप संभावित कार्यों का वर्गीकरण

1. पेयजल व्यवस्था
2. बच्चों की देखभाल में सहायता
3. पौधरोपण
4. सिंचाई-नहर खुदाई
5. मिट्टी की पटाई
6. मिट्टभ् को बाहर या ट्राली में ढेर करना
7. भवन निर्माण-कंकरीट माल तैयार करना
8 कंकरीट या अन्य बिल्डिंग सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आन्तरिक करना
9. सीमेन्ट या ईंट ढोना
10. तसलों में बालू रोड़े भरना
11. नवनिर्मित दीवार पर पानी छिड़कना
12. कूप गहरा करना, कूप में खुदी मिट्टी को टोकरियों में भरना
13. कीचड़ को कूप से बाहर निकालने में सहायता
14. कीचड़ को ट्राली में डालना
15. तालाबों से कीचड़ निकालना
16. लोहे के कन्टेनर में कूड़ा डालना
17. भरे हुये तसलों की सामग्री को ट्राली में अन्तरित करना
18. पत्थर ढोना
19. उचित स्थान पर पत्थर सेट करना

20. भूमि समतल करना
21. खेत में बन्धी बनाना
22. जल संरक्षण क्षेत्र में गड्ढे खोदना
23. गड्ढों की मिट्टी को दूसरे स्थान
24. पानी का छिड़काव करना, रोड़ों को रखना

कार्य जो हड्डी रोगग्रस्त व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य जिसका एक हाथ कमजोर है।

1. पेयजल व्यवस्था
2. बच्चों की देखभाल में सहायता
3. पौध रोपण
4. सीमेन्ट ईंट को ढोना
5. तसलों को बालू, रोड़ों से भरना
6. नवनिर्मित दीवार पर जल छिड़काव
7. खेत में बंधी बनाना
8. पानी उड़ेलना, रोड़ों को रखना

कार्य जो दोनों कमजोर हाथों वाले व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं।

1. पेयजल व्यवस्था
2. बच्चों की देखभाल में सहायता
3. पौध रोपण

बच्चों की देखभाल में सहायता, (बच्चों के परिवार के सदस्य भी सहायता कर सकते हैं) इस प्रकार दिव्यांग व्यक्ति अधिक आत्म विश्वास की अनुभूति करेंगे। एक पैर से कमजोर व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य सहायता से किया गया कार्यस्वतंत्र रूप से किया गया कार्य

कार्य, जो दोनों पैरों से कमजोर व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

1. बच्चों की देखभाल में सहायता
2. पौध रोपण
3. तसलों की बालू या रोड़ों से भराई

4. कूपों से कीचड़ का निकालना (कूपों ककी कीचड़ एक बड़े कन्टेनर में भरी जाती है और इसे बाहर खैंचने में 10 से 15 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। परन्तु यह कीचड़ यदि छोटे कन्टेनर में भरी जाए तो यह कार्य 3-4 विकलांगों द्वारा किया जा सकता है यहां तक कि जब वे बैठे रहें। लाभ यह है कि कार्य तीव्र गति से होगा, वांछित श्रम कम होगा और साथ ही दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।)

एक कमजोर हाथ और एक कमजोर पैर के व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य

कार्य जो सहायता से किए जा सकते हैं कार्य जो स्वतंत्र रूप से किए जा सकते हैं

1. पेय जल की व्यवस्था
2 बच्चों की देखभाल में सहायता
3. पौध रोपण
4 नवनिर्मित दीवारों पर पानी का छिड़काव
5. तसलों का बालू या रोड़ो से भरा
2.बच्चों की देखभाल में सहायता
3. वृक्षों का रोपण
4.नवनिर्मित दीवारों पर पानी का छिड़काव
5.पानी का छिड़काव,
6.रोड़ों का रखना

कूबड़ निकले हुये व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. पेयजल व्यवस्था
2. बच्चों की देखरेख में सहायता
3. पौध रोपण
4.नवनिर्मित दीवारों पर पानी का छिड़काव, निर्माण स्थल पर
5. पानी का छिड़काव, रोड़ों का रखना

दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए संभावित कार्य

एक आंख से अन्धे तथा दूसरी आंख से भी कमजोर व्यक्तियों के लिए संभावित कार्य

1. पेय जल व्यवस्था
2. बच्चों की देखभाल में सहायता
3. पौध रोपण
4. सिंचाई-नहर खोदना
5. मिट्टी भराई
6. मिट्टी का बहार या ट्राली में भरना
7. भवन निर्माण, कंकरीट सामग्री बनाना
8. एक से दूसरे स्थान पर कंकरीट या अन्य सामान को अनंतरित करना
9. सीमेन्ट या ईंट ढोना
10. तसले में सीमेन्ट या रोड़े भरना
11. नवनिर्मित दीवार पर पानी छिड़कना
12. कूप से कीचड़ निकालने में सहायता
13. कीचड़ को ट्राली में अन्तरित करना
14. तालाब से कीचड़ निकालना
15. कूड़ा तसलों में रखना
16. भरे गये तसलों को ट्राली में अन्तरित करना
17. पत्थर ढोना
18. उचित स्थानों पर पत्थर सेट करना
19. भूमि का समतलीकरण
20. खेत पर बन्धी बनाना
21. जल संरक्षण वाले क्षेत्र में गड्ढों की खुदाई
22. खोदी गई मिट्टी को दूसरे स्थान पर सेट करना
23. पानी का छिड़काव, रोड़ों को रखना

पूर्णत या अन्धे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य

1.पौध रोपण
2.तसलों में बालू, रोड़े भरना
3. पेयजल व्यवस्था

कार्य स्थल पर अन्य परिवार सदस्य भी काम में लगाए जा सकते हैं जिससे वे अनुभूति कर सके कि दिव्यांग जन बोझ नहीं है परन्तु इसके बजाय परिवार की आय का साधन है। विकलांक व्यक्तियों को धैर्यपूर्वक प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। कार्य करने के तरीके पर समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए साथ ही उन्हें अपने कदमों से जो दूरी तय की है उसकी पैमाइश हेतु भी उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए।

कमजोर दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य

1. पेय जल व्यवस्था
2. बच्चों की देखभाल में सहायता
3. वृक्षों का रोपण
4. सिंचाई-नहर खोदना
5. मिट्टी की भराई
6. मिट्टी का बहारया ट्राली में भरना

7. भवन निर्माण, कंकरीट सामग्री की
8. कंकरीट या अन्य सामान को एकतैयारी से दूसरे स्थान पर अन्तरित करना
9. सीमेन्ट या ईंट की ढुलाई
10. लोहे के तसलों में मिट्टी और रोड़े भरना
11. नवनिर्मित दीवार पर पानी छिड़कना
12. कूप से कीचड़ निकालने में सहायता
13. कीचड़ को ट्राली में अन्तरित करना
14. तालाब से कीचड़ निकालना
15. लोहे के कन्टेनर में कूड़ा रखना
16. भरे गये लोहे के कन्टेनर को ट्राली में अन्तरित करना
17. पत्थर ढोना
18. पत्थर को उचित स्थान पर सेट करना
19. भूमि का समतलीकरण
20. खेत पर बन्धी बनाना
21. जल संरक्षण वाले क्षेत्र में गड्ढों की खुदाई
22. खोदी गई मिट्टी को दूसरे स्थान पर सेट करना
23. पानी का छिड़काव, रोड़ों को रखना

कार्य जो हल्के मानसिक दोष वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा सकते हैं।

नोटः ऐसे लोगों को अनुक्रमिक रूप से और मन्द गीत से अनुदेषित करना चाहिए। एक बार ठीक प्राकर समझ लेने पर यह अच्छा कार्य कर सकते हैं।

1. पेय जल व्यवस्था
2. बच्चों की देखभाल में सहायता
3. पौध रोपण
4. मिट्टी भराई
5. बाहर या ट्राली में मिट्टी भराई
6. लोहे के तसलों में बालू एवं रोड़ों की भराई
7. कीचड़ की ट्राली में अन्तरण
8. पानी का छिड़काव, रोड़ों का रखना

ऐसे लोग अन्य को सहायता देने और सामर्थ्य प्रदान करने में अच्छे साबित होते हैं।

यह कीचड़ के तसलों को ढो सकते हैं और ढेरकर सकते हैं यदि उनकी सहायता इसके उठाने में की जाए। कार्य जो उन लोगों के द्वारा किया जाता हे जो मानसिक बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ऐसे लोग हर प्रकार का कार्य कर सकते हैं। केवल किया गया कार्य परिपरिमाणात्मक रूप से कम हो सकता है। काम जो श्रवण तथा वाक शक्ति वाधित लोगों द्वारा किए जा सकते हैं ऐसे लोग सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं परन्तु यह आवश्यक हैं कि उन्हें सांकेतिक भाषा में ठीक से अनुदेशित किया जाए।